न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार बहक श्री भंवरसिंह
जरिये पटवार हल्का टापरवाड़ा पुत्र श्री बुधसिंह
जाति राजपूत नि. निम्बोला

मुकदमा नं. 24 /2017 राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 07/09/17

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम निम्बोला खसरा नम्बर 504 रकबा 0.0200 हैक्टर किस्म सिवायचक बा03 (राजकीय भूमि) पर फसलखरीफ संवत 2074 में श्री भंवरसिंह पुत्र श्री बुधसिंह जाति राजपूत निवासी निम्बोला (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा बाड़ा बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अर्न्तगत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी उपस्थित हुआ। अप्रार्थी द्वारा जबाब लिखित में पेश किया गया। जबाब शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम निम्बोला ख.न. 504 रकबा 0.0200 है0 किस्म सिवायचक बा03 पर फसलखरीफ संवत 2074 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर बाड़ा बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :–

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 3/- प्रति है0 का 50 गुणा रूपया 1.00 रु0 (रूपये एक रूपया जुर्माना) शास्ति कायम की जाती है।

निर्णय की क्रियान्विती हेतु पटवारी हल्का टापरवाड़ा भु. अभिलेख निरीक्षक रिड़ एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/09/2017 का सरे इजलास सुनाया।

नायब तहसीलदार भकरी मौलास
जिला - नागौर (राज0)
नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)